उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या–421–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 18–108–पेंशन–31 / 1990, दिनांक ०१ मई, 2018

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ,

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ,

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ,

विषय : **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित, में छठवें वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07.2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या–850–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 17–108–पेंशन–31 / 1990, दिनांक 29.08.2017 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनके पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित न हो पाने के फलस्वरूप उनके द्वारा छठवें वेतन आयोग (दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी) में निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो रही है, को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–04 / 2018 / सा–3–112 / दस–2018 –301 / 2000 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 05.03.2018 की अनुरूपता में उन्हें अनुमन्य हो रही पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2017 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत अनुमन्य होगीः–

तिथि जब से देय है	महंगाई राहत की मासिक दर
01 जुलाई, 2017	मूल वेतन का 139 प्रतिशत

2. मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उससे अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3. छठवें वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054– डब्लू0सी0 / रा0वि0प0– औ0सं0–19–14 (23) एफ–85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / कोषागारों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाईराहत का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

5. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)

संख्या–421(।)पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 18, तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः.....2

3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर / ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

(सैयद आरिफ हैदर)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)